आधुनिक के परिप्रेक्ष्य मे महीला सशक्तिकरण

प्रा.विरेश उत्तमराव देशमुख
एम.ए.बी.एड.एम.फिल हिंदी
श्री.दत्त कला वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय हदगांव
ता.हदगांव जि.नांदेड ,महाराष्ट्र

आधुनिक शब्द इस बात का द्योतक माना गया है कि एक व्यक्ति अथवा काई व्यवहार वर्तमान तिथि का है और अतीत के व्यक्तियों अथवा व्यवहार से भिन्न है । अंग्रेजी में इसे मॉर्डन कहते हैं। भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में आधुनिक विचाराधारा एक प्रगतीशील समाज का प्रतीक बन गई थी। आधुनिकता के संदर्भ में विश्वकोश में कहा गया है कि, "अनुपयोगी-विश्वासों,घिसी-पिटी निरर्थक रीतीयों और मनुष्य अथवा समाज के स्वाभविक विकास में बाधक प्रचलित मान्यताओं से मुक्ति दिलाने वाली वैचारीक अवधारणा का आधुनिकता है।" [१] यानी मानव के प्रगति का और सम्यक जीवन जीने का मार्ग आधुनिक प्रतिबध्दता है। "आधुनिक एक प्रगतिशील बल की ओर निर्देशित है, जो मानव जाति को अज्ञानता और तर्कहीनता से मुक्त कराने का वादा करता है।" [२] आधुनिकता का विचार इतना सशक्त है कि वह व्यक्ति के विचार प्रवाह में और जीवन में सहायक होता है। मानव समाज कई वर्षो से विभिन्न प्रकार की मान्यताओं,परंपराओं,विश्वासों आदि को लेकर चलता आया है । कुछ परंपराएँ एवं मान्यताएँ जीवन शैली से जुडी है तो कुछ लोगों की मानसिकता से। लेकिन इन परंपरागत मान्यता, रुढी,प्रथा,धर्म,एवं संस्कृति से पुरुष वर्ग से ज्यादा भारतीय महिला वर्ग शोषित,पीडित और उपेक्षित जीवन सदियों से जी रही थी। सती प्रथा,बाल-विवाह,बहु-पत्नी विवाह,दहेज बलि प्रथा जैसी समस्याओं से महिलाओं का जीवन नर्क बनता था। लेकिन शिक्षा,सामजिक आंदोलन और संवैधानिक अधिकारों से महिलाओं में सशक्तिकरण आता गया और वह भी आधुनिक विचार प्रवाह में आने लगी। महिलाओं को भी अपने सामाजिक स्थान,दर्जा,और अस्तित्व का बोध होने लगा। समता,बंधुता,न्याय,स्वातंत्र्य जैसे आधुनिक मूल्यों के आधार पर महिला पुरुषों के बराबर अधिकार की मॉग करने लगी। शिक्षा और संवैधनिक अधिकारों के बलबूते पर आज की नारी 'महिला सशक्तिकरण' की प्रक्रिया में आ गयी। भारत में महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग ९० के दशक में होने लगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है - "महिलाएँ अपने आप को किसी भी मायने में अस्तित्व हिन न समझें, चाहे वह शारीरिक शक्ति संपन्नता हो या सामाजिक शक्ति संपन्नता हो।"[३] दस प्रक्रिया में महिला अपने अंदर की क्षमता को पहचानकर आधुनिक जीवन के प्रवाह में स्वयं के मंतव्य या विचार पर आधारित मौलिक निर्णय ले सकती है। मुख्यतः वह अपने निर्णय लेने में सशक्त होती है। अपने अस्तित्व को नये रुप से निर्माण करने की क्षमता रखती है। पारंपारिक,धार्मिक रुढीयों और पुरूषसत्ता की संस्कृति को नकार कर आधुनिक विचारों को स्वीकार करने की शक्ति भी महिला रखने लगी है। मॉ,पत्नी,बहन,सखी-सहेली इन रुपों की गरिमा बनाए रखते हुए भी वह अपनी प्रस्तुति खुद रखना चाहती है। इस संदर्भ में फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं- "नारी अब घर की चार दीवारी में बंदी रहकर केवल बच्चे पैदा करनेवाली मशीन नहीं कहलाना चाहती, अपितु वह भी अपने हृदय में उठनेवाली अभिलाषाओं और इच्छाओं को सच्चे रुप में प्रस्तुत करना चाहती है।"[४] इसीलिए आधुनिक विचार प्रवाह नारी को इन्सान के रुप में

देखने का तौर-तरीका सिखाती है। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जहाँ। पुरुषों के समान महिलाओं को भी निर्णय लेने का अधिकारी हो।

महिला सशक्तिकरण की शुरुआत यूरोप वोल्टन काफ्ट की पुस्तक 'विडीकेशन ऑफ द राईट्स ऑफ विमेन'के प्रकाशन से हुई है। भारत में सन १९६० के बाद आधुनिक मूल्यों का संचार तेजी से बढने लगा था। परिणामतः भारतीय महिला पाश्चात्य विचारों को पढने लगी उस पर विमर्श भी करने लगी। इसके साथ ही १९७५ में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रुप में तथा १९७५ से १९८५ तक 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक' के रुप में मनाया गया। परिणामतः नारी के प्रति देखने के दृष्टिकोण में परविर्तन की प्रक्रिया शुरु हो गयी । आधुनिक विचार की वैचारिक भूमि तैयार होने लगी। सन १९६० के बाद स्त्री को भी समझने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होने लगा। निश्चीत रुप से इस परिवर्तन की प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों के 'नारी मुक्ति आंदोलनो' का प्रभाव रहा है। १९१९ में पहली बार वर्जीनिया उल्फ ने स्त्री की सर्जनशीलता को लेकर सोचना शुरु किया। उसने इस बात को बडी तीव्रता के साथ महसूस किया कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की सर्जनशीलता का कोई महत्व नही है। १९४० में सिमॉन दि बुआ नामक फ्रेंच लेखिका ने 'दि सेंकड सेक्स' . लिखकर स्त्रीवादी विचारों की नींव डाली। उनके पहले ही जॉन स्टूअर्ट मिल ने 'दि सब्जेक्शन ऑफ विमेन' नामक पुस्तक लिखकर स्त्रियों की मुक्ति और उनके मताधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में महिला सशक्तिकरण और मताधिकार के पक्ष में अपने भाषण में उन्होने कहा था – "स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक संबंधो का संचालक करने वाला नियम जो एक को श्रेष्ठ और दूसरे को उसके अधीन बताते है, अपने आप में गलत है। इन्हे पूर्ण समानता के नियम व्दारा बदला जाना चाहीए, ताकि किसी पक्ष में न अधिक शक्ति रहे और न किसी एक की अधीनता।"[५] इस मंतव्य में आधुनिकता की दृष्टी स्पष्ट रुप से झलकती है,जो महिला को विकास की और ले जाती है। इसी संदर्भ में ८ मार्च १८५७ को न्युयॉर्क में अधिक वेतन और काम के घंटे घटाने की मॉग को लेकर एक असफल प्रदर्शन किया था। यह दिन महिला सशक्तिकरण के इतिहास में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला संघर्ष दिवस' के रुप में दर्ज है।

पश्चिमी वैचारिक आंदोलन का प्रभाव भारतीय परिवेश में और खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए एक चेतना रुप बनकर आया। इसी चेतना को भारतीय समाज सुधारकों ने और भी चेतनामय बनाकर नारी मुक्ति और सशक्तिकरण की प्रक्रिया सुरु की है । महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री,महर्षि कर्वे,डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर,राजा राम मोहनराय, महात्मा गांधी आदि ने अपने आधुनिक विचारों से और व्यवहार से महिला सशक्तिकरण की दृष्टी से काम किया। भारतीय नारी ने प्रारंभ में समाज सुधारकों की उंगली पकडकर चलना सीखा पर जल्द ही पुरुषों की उंगली छुडाकर दूर भी हो गई । उसने अपने जीवन काल में कभी पुरुषों का समर्थन पाया तो कभी उसे विरोध भी झेलना पडा। वह अब सामाजिक, राजनितिक,आर्थिक,सांस्कृतिक,साहित्यिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी सशक्त होकर अपनी भूमिका पुरुषो के साथ मिलकर निभा रही है । १९ वी शताब्दी में नारी सुधार संबधी आंदोलन केवल पुरुषो व्दारा ही आयोजित थे,पर इसी युग में नारियों ने स्वयं आंदोलन में हिस्सा लेना शुरु किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी महिला इस युग में भाग लेने लगी थी।'वीमेन्स इंडीयन' की स्थापना हुई तथा कमलादेवी चटटोपाध्याय सरोजनी नायडू आदि महिलाओं का उदय हुआ । सन १९२५ में पहली बार सरोजिनी नायडू 'कॉग्रेस' की अध्यक्ष बनी । १९२६ में भारत में पहली बार स्त्रियों ने चुनाव में भाग लिया । आम चुनाव के बाद १९२७ में महिलाएँ विधान सभाओं में चुनकर गई । १९२७ में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई । स्त्रियों में राजनैतिक चेतना जाग्रत करने में इन घटनाओं का योगदान था।

१९२९ में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। १९३० में पहली बार महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया । गांधीजी तथा अन्य नेताओं के जेल जाने के बाद सरोजिनी नायडू ने ही आंदोलन नेतृत्व किया । इसके साथ ही 'नमक आंदोलन' में सरोजिनी नायडू सहित ८००० महिलाओं को बंदी बनाया गया। महिलाओं के इस योगदान से प्रभावित होकर १९३१ में कॉग्रेस के करॉची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान पर विचार करते हुए स्त्री-पुरुष समानता की बात को सम्मिलित करने बात उठाई गई। १९४० तक आते-आते महिलाएँ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने लगी । इसी साल में कॉग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिती बनी तो श्योजनाबध्द अर्थ व्यवस्था में महिलाओं का योगदान' नाम विषय पर महिलाओं से विचार मँगवाये गये । हिंदू कोड बिल की रूप-रेखा बनाने के लिए १९४१ में ही ब्रिटिश सरकार ने राव समिती का गठन किया । समिती के कार्य को देखकर महिला संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी । उन प्रतिक्रियाओं को देखकर यह सहज समझा जा सकता है कि,ये महिलाएँ अपनी स्थिती के प्रति सचेत और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई थी । इसीलिए उनको एकाध अधिकार देकर बहलाया नही जा सकता था । उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया था कि अपने से संबधी विषयों पर स्वयं विचार कर सके । १९४६ में जब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सलाहकार समिती का गठन किया गया तो अखिल भारतीय महिला परिषद की नेताओं ने प्रस्तावित संविधान में स्त्री विषयक सुधारों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया । अमृत कौर,हंस मेहता और लक्ष्मी मेनन ने 'इंडिया वूमेन्स चार्टर ऑफ डिब्यूटीज एण्ड राईट्स' तैयार करके केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को भेज दिया । उनकी प्रमुख मॉगे थी - एक विवाह प्रथा,तलाक को कानूनी स्वीकृती,विवाह के लिए उभय पक्षीय स्वीकृति,अंतर्जातीय विवाह,संपत्ति में बराबरी का हिस्सा,कामकाजी महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएँ तथा परिवार नियोजन में महिलाओं की स्वतंत्रता आदि । १९४८ में हिंदू कोड बिल का अंतिम प्रारूप बनाने का कार्य डॉ.आबेडकर समिती को सौपा गया । यह कानून विरोध के बावजूद १९५४-५६ के बीच पॉच भागो में बॉट कर पारित किया गया । यहॉ तक आते-आते महिला वर्ग ने अपने अधिकारों की लडाई कुछ हद तक जीत ली थी । क्योंकि मानना था कि राजनितीक समानता के साथ ही अर्थिक और समाजिक समानता के बगैर महिला सशक्तिकरण का सपना पूर्ण नही हो सकता। हिंदू कोड बिल का समर्थन करते हूए सुचेता कृपलानी,रेणु राय तथा दुर्गाबाई ने इस संदर्भ में कहा था -"आर्थिक व सामाजिक समानता के बिना राजनितिक स्वतंत्रता व्यर्थ है।"[६] राजनितिक समानता महिलाओं को भले ही आगे बढने के अवसर दे दे पर सामाजिक समानता के बिना वह न परिवार और न समाज में सम्मान जनक स्थान पा सकती है और न ही आर्थिक समानता के बिना उनमें आत्मविश्वास एवं स्वतंत्रता की भावना घर कर सकती है । इसके लिए वे महिलाओं को अर्थोपार्जन करना जरूरी समझती थी। महीलाओं कि आर्थिक स्थिती के सुधार को ध्यान में रखकर उन्होने मॉग किया कि महिलाओं को नौकरी देते समय विवाहीत अविवाहीत का ध्यान न रखा जाए,पुरुष कर्मचारी के समान महिला कर्मचारी को भी समान वेतन,छुटिटयॉ और चिकित्सा सुविधाएँ दी जाए ।

सन १९६० तक आते-आते भारतीय महिलाओं के जीवन में आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण की प्रक्रिया तेजी से सुरु होने लगी थी । शिक्षा की जागृती और संवैधानिक अधिकारों के कारण महिलाओं में जमीनी स्तर बदलाव आने लगे । वैचारीक प्रतिबध्दता के रूप में महिला अब सशक्त बनकर मानवीय जीवन के सभी क्षेत्र में अपना अस्तित्व आजमाने लगी थी । इस युग की नारी चेतना का और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदीरा गांधी जी ने पुरुष प्रधान राजनैतिक सत्ता के केंद्र हो हिलाकर प्रमाणित किया कि एक महिला भी देश का नेतृत्व कर सकती है । जरुरत है उसे इन्सान के रूप में स्वीकृति देने की । इंदीरा गांधी कहती है-"औरत-मर्द के फर्क में न पडकर मैनें अपने

आप को हमेशा इंसान सोचा है । शुरु से जानती थी, मैं हर चीज के काबिल हूँ । कोई समस्या हो तो मर्दो से ज्यादा अच्छी तरह सुलझा सकती हूँ । इसलिए मैंने अपने औरत होने को कभी किसी कमी के पहूल से नहीं सोचा ।"[७] इंदीरा गांधी की सोच हमें आधुनिकता का बोध कराती है । इन्ही के प्रेरणा के राजनितीमें महिलाओं लंबी सुची मिलती है। कमला बहुगुणा,मृणाल गोरे,विजया राजे सिंधिया,मनेका गांधी,मोहसिना किदवई, नजमा हेपतुल्ला,ममता बॅनर्जी,सुषमा स्वराज,सोनिया गांधी,बहन मायावती,उमा भारती,वसुधंरा राजे आदि महिलाओंने अपना अस्तित्व अजमाकर राजनैतिक स्थान बनाने में सफल रही है। लेकिन यह तब कामयाबी हासिल कर पाई,जब उन्होने अपने विचारों की सोच में आधुनिकता की नींव रखी।

इक्कीसवीं सदी में आते – आते महिलाओ ने पुरुषों के समान सभी क्षेत्रों में मानवीय अधिकार पा चुकी है । इसीलिए सन २००१ यह 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रुप में मनाया गया है इसका कारण भी सही है, क्योकि अब तक महिलाओं को सदियों से अपने अधिकारों की लडाई लडनी पडी थी और आज काफी हद तक महिलाओं को इन्सान के रुप में स्वीकृती मिलकर उनको उनके अधिकार मिलने लगे है । स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में आज महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण रखा गया है । मुस्लिम महिलाओं के लिए श्हज यात्राश करने के निर्बंध थे । लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्बंध उठाकर महिला सबलीकरण की ओर अपना कदम रखा है । इसके साथ ही सादियों से मुस्लिम महिलाएँ श्ट्रिपल तलाकश से पीडीत थी,इस पर भी वर्तमान सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए 'ट्रिपल तलाक' पर बंदी लगा कर उचित कानून बनाने की पहल की है । इस संघर्ष के लिए सभी धर्म की महिलाएँ आज आवाज उठा रही हैं और अपने अधिकार मॉग रही है ।

सन २००० में शनि–शिगंणापुर मंदीर में स्त्रियों के प्रवेश पर निषेध के खिलाफ जाने – माने तर्कवादी,लेखक और महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती के अध्यक्ष नरेंद्र अच्युत दाभोलकर जी ने पंढरपुर से शनि–शिंगणापुर तक की विरोधी पदयात्रा आयोजित की थी । इस पदयात्रा में अनेक आधुनिक और प्रगतशील विचारों के लोग शामिल हो गए थे जिनमें डॉ.श्रीराम लागू और किसान नेता एन.डी.पाटील भी थे । इसका परिणाम यह हुआ कि सुश्री तृप्ती देसाई ने अपनी 'भूमाता ब्रिगेड' महिला संगठन व्दारा २६ जानेवारी २०१६ को इसी मुददे को लेकर चार सौ वर्ष पूरानी उस घटिया–सी परंपरा को तोडने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की दृष्टी धर्म नही है तो पुरुष वर्ग के समान महिलाओं को भी दर्शन करने का अधिकार मिलना चाहिए यही उनकी मॉग थी । "अप्रैल आते – आते हाईकोर्ट के निर्देश पर मंदीर के न्यासियों को स्त्रियों के लिए गर्भगृह के व्दारा खोलने पडे । कुल चार महिनों के इस आंदोलन से चार सौ वर्ष की न्यायहिन परंपरा धूल चाटती नजर आई ।"[८] इसी प्रकार २६ अप्रैल,२०१६ में भी सुश्री तृप्ति और उनकी 'भूमाता ब्रिगेड' की महिलाओ ने मुंबई के श्हाजीअलीश दरगाह में घुसने की चेष्टा की और धार्मिक समानता का आंदोलन भी किया है । महिलाओं को पुरुषों से कमतर अथवा अपवित्र मानने वाली इस पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ आज की इक्कीसवी सदी की महिलाएँ अपने सामाजिक, धार्मिक अधिकारों की लडाई लडने लगी है,यह बहुत बडी उपलब्धि है ।

निष्कर्ष :

कहा जाय तो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का सशक्तिकरण आनेवाली स्वच्छ समाज की नींव है । इसके लिए महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी आधुनिकता के तर्ज पर उनका साथ देना चाहिए । समता,बंधुता,न्याय,स्वातंत्र्य और मानवीय अधिकार जैसे आधुनिक मूल्यों के आधार पर ही दूषित समाज का वातावरण स्वच्छ सुंदर हो सकता है । इसके लिए महिला लगातर अपने बुध्दि,तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबलीकरण की ओर बढ रही है और समाज में पुरुषों के साथ वह आधुनिक जीवन बोध लेकर जीना चाहती है । यही समय और समाज की मॉग है ।

संदर्भ सूची :-

१. मानव–मुल्य परक शब्दावली का विश्वकोश,प्रकाशक– सरूप एण्ड सन्स नई,दिल्ली पृष्ठ २८८
२. https://him.wikipedia.org
३. भारतीय समाज में नारी दशा एवं दिशा – डॉ.अलोक कुमार कश्यप पृ ठ २५
४. वही पृ ठ २५
५. मृदूला गर्ग के कथा साहीत्य में नारी – प्रो.डॉ.रमा नवले पृ ठ ४२
६. वहीपृ ठ २७
७. वही पृ ठ ४०
८. हंस,जून २०१६ संपा.राजेद्र यादव पृ ठ ०४

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com